अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा

पत्रांक-123/

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,
मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र।

मधेपुरा दिनांक 16/11/2015 ई0।

विषय :- मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत स्थित मठ, मन्दिर एवं धार्मिक न्यास की भूमि के क्रय-विक्रय उपरांत नामांतरण कराने तथा जमाबंदी सृजित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक 19/गो0 दिनाँक 10.01.2015 एवं सहायक अधीक्षक, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के ज्ञापांक 1279 दिनाँक 31.12.2014 ई0।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि यदि बिहार राज्य धार्मिक न्या पर्षद की पूर्व अनुति के वगैर मठ, मंदिर की जमीन को अवैध रूप से बिक्री की गयी है और इस प्रकार अवैध बिक्री की गयी जमीन का दाखिल-खारिज और जमाबंदी सृजन यदि पूर्व में किया गया है, तो जमाबंदी रद्द करने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इसकी पृनरावृत्ति नहीं हो।

पुनः निदेश दिया जाता है कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत स्थित मठ, मन्दिर एवं धार्मिक न्यास की भूमि से संबंधित संपूर्ण खाता, खेसरा, रकववा एवं अद्यतन जमाबंदी का व्यौरा का सी0डी0 निर्माण कर एक सप्ताह के अन्दर अवर निबंधक, कार्यालय, मधेपुरा को भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

16/11/15

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-123-2/ दिनांक 16/11/2015

प्रतिलिपि- अवर निबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अंचल अधिकारी द्वारा मठ, मंदिर एवं धार्मिक न्यास की भूमि का व्यौरा देने के बाद यदि निबंधन कार्यालय से वर्णित भूमि का निबंधन/हस्तांतरण अवैध रूप से होता है तो इसकी जवाबदेही निबंधन कार्यालय की होगी।

प्रतिलिपि- समाहर्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ ।

16/11/15

अनुमण्डल पदाधिकारी
मधेपुरा